भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 107B/2015-16

चन्द्रसेन महतो बनाम **परमेश्वर महतो**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
06-06-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावां के पत्रांक 970 दिनांक 05.10.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 107 B/2015-16 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता चन्द्रसेन महतो पिता-स्व० मंगडु महतो, ग्राम-जोजोकुड़मा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता परमेश्वर महतो पिता- स्व० जन्मजय महतो, ग्राम- जोजोकुड़मा, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
जोजोकुड़मा	54	109	342	9.485डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पितामाह एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक अपने हिस्से की आंशिक जमीन की बिक्री हेतु आवेदन किये हैं, जिसमे से 9.485 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.42 ए0 एकड़ भूमि शेष बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी ' जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 9.485डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

06/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner